



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 08.06.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 392/26 धारा 103(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 बैट (आलाकत्ल) किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.06.2026 को थाना बडौत पर आवेदक श्री शकूर पुत्र लाला निवासी पट्टी कटगढ बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सुहेल व 2.साहिल पुत्रगण कय्यूम निवासीगण पट्टी देशु बावली थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादी के पुत्र राशिद को क्रिकेट के बैट से जान से मारने की नियत से सिर व पैरो पर वार करना, जिसमे वादी के पुत्र के सिर पर बैट लगने से गम्भीर रूप से घायल हो जाना । इस सम्बन्ध



में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 392/26 धारा 109(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में सम्बन्धित मजरूब राशिद पुत्र शकूर की उपचार के दौरान सफदरगंज हास्पिटल दिल्ली में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप धारा 109(1) बीएनएस को धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 392/26 धारा 103(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त सुहेल को दिनांक 07.06.2026 समय 16.56 बजे बावली नहर राणा वाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बैट को बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सुहेल पुत्र कय्यूम निवासी पट्टी देशू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 19 वर्ष
।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत, बागपत
- 2-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 361 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-08.06.2026

थाना कोतवाली बागपत, सर्विलांस सैल बागपत व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस का मात्र 03 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल रेहडा बिना नम्बर व मृतक की मोटर साईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.06.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी इरशाद पुत्र रहमत निवासी मौहल्ला केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित सूचना दी कि वादी के भतीजे शाहजान पुत्र इरफान के साथ अभियुक्त सलमान पुत्र वली निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत ने गाली गलौच की, जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्तों सलमान, फरमान, इमरान व शाहरुख पुत्रगण वली व अन्य लोगों द्वारा वादी के भतीजे शाहजान की हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।



कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस सर्विलांस सैल बागपत व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस का मात्र 03 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में

प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल रेहडा बिना नम्बर व मृतक की मोटर साईकिल बरामद की गयी है।

नोट- उपरोक्त अभियोग के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहरुख पुत्र वली मौहम्मद उम्र 19 वर्ष निवासी मौहल्ला मुगलपुरा टेलीफोन एक्सचेंज रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-फरमान पुत्र वली मौहम्मद उम्र 26 वर्ष निवासी मौहल्ला मुगलपुरा टेलीफोन एक्सचेंज रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-ईम्मन उर्फ इमरान पुत्र वली मौहम्मद उम्र 30 वर्ष निवासी मौहल्ला मुगलपुरा टेलीफोन एक्सचेंज रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 625/24 धारा 151(2)/131/191(2)/191(3)/352 बीएनएस थाना बागपत जपनद बागपत।

2-मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस थाना बागपत जपनद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 846/17 धारा 380/457 भादवि थाना बागपत जपनद बागपत।

2-मु0अ0सं0 618/18 धारा 379/411 भादवि थाना बागपत जपनद बागपत।

3-मु0अ0सं0 462/22 धारा 380 भादवि थाना बागपत जपनद बागपत।

4-मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस थाना बागपत जपनद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त इमरान का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 625/24 धारा 151(2)/131/191(2)/191(3)/352 बीएनएस थाना बागपत

2-मु0अ0सं0 640/24 धारा 151(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बागपत

3-मु0अ0सं0 004/26 धारा 110/115(2)/333/352/74/76 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना बागपत

4-मु0अ0सं0 369/26 धारा 103(1)/352/351(2) बीएनएस थाना बागपत

बरामदगी का विवरण-

- हत्या में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल रेहडा।
- मृतक की एक मोटर साईकिल हीरो एक्सट्रीम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-प्रभारी सर्विलांस सेल बागपत उ0नि0 श्री संजय कुमार मय टीम ।
- 3-प्रभारी एसओजी बागपत उ0नि0 श्री रंजीत यादव मय टीम ।
- 4-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5--उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।
- 6-म0उ0नि0 डौली पचौरी थाना कोतवाली बागपत ।
- 7-है0का0 351 पवन नागर थाना कोतवाली बागपत ।
- 8-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 9-है0का0 151 संदीप थाना कोतवाली बागपत ।
- 10-है0का0 652 मोहित थाना कोतवाली बागपत ।
- 11-का0 467 टिंकू थाना कोतवाली बागपत ।
- 12-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत ।
- 13-का0 165 संदीप थाना कोतवाली बागपत ।

